12

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 340/2022
संदीप कुमार पुत्र बनवारी लाल, निवासी पहलाना जोहड के पास, गांव टीटनवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333012

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटीं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 340/2022 पर दिनांक 19.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2407—08 दिनांक 19.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयुपरवाटी ने पत्रांक रीडर/आरटीआई/2022/555—56 दिनांक 27.10.2022 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार गुढागौडजी के क्षेत्राधिकार का होने से उन्हे स्थानान्तरित किया गया है। तहसीलदार गुढागौडजी ने अपने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई/22/476 दिनांक 28.10.22 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी संदीप कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी पहलाना जोहड के पास, टीटनवाड, तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई इस कार्यालय द्वारा तैयार कर दी गई है। प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक पाठक/2022/451 दिनांक 17.10.2022 द्वारा सूचना कर दी गई थी तथा पूर्व मे जरिये दूरभाष भी सूचना की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक रीडर/आरटीआई/2022/555—56 दिनांक 27.10.2022 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार गुढागौडजी के क्षेत्राधिकार का होने से उन्हे स्थानान्तरित किया गया है। तहसीलदार गुढागौडजी ने अपने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई/22/476 दिनांक 28.10.22 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी संदीप कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी पहलाना जोहड के पास, टीटनवाड, तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई उनके कार्यालय द्वारा तैयार कर दी गई है। प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने हेतु उनके कार्यालय के पत्र कमांक पाठक/2022/451 दिनांक 17.10.2022 द्वारा सूचना कर दी गई थी तथा पूर्व मे जरिये दूरभाष भी सूचना की गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप [illegible]ीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर [illegible]

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले [illegible]ालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:29 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर